-176

(1)

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-भूप्रआ/तक/भूकर/11/8/1/85/पार्ट-III/2912 दिनांक:- 25.10.2000

-: परिपत्र :-

प्राय: यह देखने में आया है कि जिन तहसीलों में पूर्ण सर्वेक्षण कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं उन तहसीलों के ग्रामों के लिए भी भू-प्रबन्ध अधिकारीगण राजस्व विभाग से तरमीम प्राप्त करने हेतु पत्र व्यवहार कर रहे हैं, जबकि पूर्ण सर्वे में राजस्व विभाग की अन्तिम जमाबन्दी, राजस्व नामान्तरकरण जिल्दें एवं पटवारी का चालू नक्शा (पटवार लट्ठा) अभिलेख तैयारी कार्य के समय भूमापक/निरीक्षकों द्वारा लिया जाता है। फिर उक्त पूर्ण सर्वे हेतु दी गई तहसील में पृथक से पटवार तरमीम चाहने का क्या औचित्य है। जिन खसरा नम्बरों में आवंटन/नियमन हुआ है और उन आवंटन/नियमन को पटवार नक्शे में तरमीम नहीं है तो मौके अनुसार उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया जाकर यदि आवंटन/नियमन से मौके पर कृषक का कब्जा अधिक भूमि पर है तो अधिक रकबे को काटकर उसमें पृथक नम्बर डालकर सिवायचक में दर्ज कर दिया जावे। यदि मौके पर आवंटन/नियमन से कृषक का कम भूमि पर कब्जा है या अन्य खसरा नम्बर पर है तो उसका प्रकरण तैयार कर विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जिला कलेक्टर को निस्तारण हेतु प्रेषित कर देवें। यदि जिला कलेक्टर से इसका निर्णय होकर कोई सूचना/आदेश एक माह में प्राप्त हो जाती है तो तदनुसार कार्यवाही करें, अगर एक माह तक प्राप्त नहीं होती है तो यथास्थिति अभिलेख एवं नक्शे तैयार कर राजस्व विभाग को भू-प्रबन्ध संक्रियायें बन्द होने के तुरन्त बाद सम्भला दिया जावे। इस आशय की एक सूची अन्तिम अभिलेख के साथ भिजवादी जावे एवं इस आशय का एक नोट भी भू-प्रबन्ध अभिलेख में अंकित कर दिया जावे। उक्त प्रकरणों में किसी प्रकार की कार्यवाही बाद में होती है तो जिला कलेक्टर अपने स्तर से अभिलेखों/नक्शों में परिवर्तन कराएंगे। यह उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है। पटवार तरमीम के अभाव में किसी भी सूरत में कार्य बन्द नहीं किया जावे।

जिन तहसीलों में केवल तरमीम सर्वेक्षण ही कराये जाने की कार्यवाही भू-प्रबन्धाधीन है उन तहसीलों के लिए ही पटवार तरमीम मांगी जावे। पूर्ण सर्वे में नहीं। समस्त भू-प्रबन्ध अधिकारीगण उक्त परिपत्र के अनुसार कार्यवाही करें।

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक:- 25.10.2000

क्रमांक-समसंख्यक/ 2913 - 2926
प्रतिलिपि:-भू-प्रबन्ध अधिकारी समस्त---सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

राजेन्द्र/